फर्द अहकाम

सरकार बनाम ओमप्रकाश वगैरह

नाम न्यायालय

केस संख्या 76/25

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	~~18/7/25~~	पत्रावली पेश हुई। ... उपस्थित ... आदेशानुसार ... दिनांक .... को पेश हो।
	18/7/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली के अवलोकन व बहस सुनने के अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल हो दर्ज रजिस्टर होवे।
		(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनीता मीणा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :–76/24 **दायर तारीख :–** 29.08.2024

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कि0रेनवाल

प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र उदाराम
2. ब्रिजमोहन पुत्र उदाराम
3. भानाराम पुत्र उदाराम
4. शंकरलाल पुत्र उदाराम
5. सुरेश कुमार पुत्र उदाराम

समस्त जाति कुमावत नि0 रेनवाल तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर

अप्रार्थी

उपस्थित : राज पेरोकार
अधिवक्ता श्री अरूण यादव, अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
निर्णय

निर्णय दिनांक : 18/7/25

1. राज पेरोकार तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि तहसील कि0रेनवाल के प0ह0 रेनवाल के ग्राम रेनवाल की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खं0नं0 993 रकबा 1.1633 हैक्टर भूमि ओमप्रकाश, ब्रिजमोहन कुमावत, भानाराम कुमावत, शंकरलाल कुमावत, सुरेश कुमार कुमावत पुत्रान उदाराम जाति कुमावत नि0 रेनवाल के नाम खातेदारी दर्ज रिकोर्ड है जो कृषि योजनार्थ भूमि है। आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बहुत ही ठोस एवं संबल आधारों पर प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता प्राप्त करने की पूरी उम्मीद है। उक्त वर्णित कृषि भूमि खातेदारी शुद्वा सम्पदा है जिनको पक्षकारों द्वारा बिना भू–रूपान्तकरण कराये अकृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है अथवा ली जाने की कोशिश में है। उक्त वर्णित भूमि में बना सक्षम अधिकारी के रूपान्तकरण कराये भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी को विवादित भूमि पर बिना रूपान्तकरण कराये किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द कर मौका सूरत व राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन करने तथा अन्य किसी भी प्रकार से बेचान एवं स्थानान्तरित कर उपयोग उपभोग से अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना सादर प्राथर्नीय है।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री अरूण यादव ने वकालतनामा पेश किया। ब्रिजमोहन की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर अपने जवाब प्रा0पत्र में अंकित किया कि वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त पत्रावली में वर्तमान जमाबन्दी लगी हुई नहीं है तथा पूर्व में भी अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार का प्लाटिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है तथा रोड़ी तो अपने खेत में आने जाने के रास्तें पर बिछाने हेतु डाल रखी है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य नहीं किया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

जा रहा है ना ही पटवारी रिपोर्ट में कोई निर्माण कार्य सम्बन्धित तथ्य अंकित किये गये है। उक्त पटवारी रिपोर्ट अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में बनायी गयी है इसलिए कानूनन अमान्य है। अप्रार्थी द्वारा कोई भी अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य नहीं किया जा रहा है ओर ना ही धारा 177 का उल्लघंन किया जा रहा है। अप्रार्थी अपनी भूमि को कृषि कार्य में ही उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है तथा ना ही मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्व धारा 177 लागू नहीं होती है ओर ना ही वह धारा 177 के उल्लघंन का दोषी है। यहा यह अंकित करना आवश्यक होगा कि वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं है बल्कि छीतरमल शेरावत, जगदीश व मंशाराम चौधरी के नाम दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा कोई भी अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य नहीं किया जा रहा है ओर ना ही धारा 177 का उल्लघंन किया जा रहा है। अप्रार्थी अपनी भूमि को कृषि भूमि कार्य में उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है तथा ना ही मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा रहा है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्व धारा 177 लागू नहीं होती है ओर ना ही वह धारा 177 के उल्लघंन का दोषी है। यहा यह अंकित करना आवश्यक होगा कि वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं है बल्कि छीतरमल शेरावत, जगदीश व मंशाराम चौधरी के नाम दर्ज है इसलिए प्रार्थी का प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे।

3. प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि मौका रिपोर्ट के अनुसार व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अप्रार्थीगण कृषि कार्य की भूमि को अकृषि में उपयोग में ले रहे है।

4. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त पत्रावली में वर्तमान जमाबन्दी लगी हुई नहीं है तथा पूर्व में भी अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार का प्लाटिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है तथा रोड़ी तो अपने खेत में आने जाने के रास्तें पर बिछाने हेतु डाल रखी है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य नहीं किया जा रहा है ना ही पटवारी रिपोर्ट में कोई निर्माण कार्य सम्बन्धित तथ्य अंकित किये गये है। उक्त पटवारी रिपोर्ट अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में बनायी गयी है इसलिए कानूनन अमान्य है। अप्रार्थी द्वारा कोई भी अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य नहीं किया जा रहा है ओर ना ही धारा 177 का उल्लघंन किया जा रहा है। अप्रार्थी अपनी भूमि को कृषि कार्य में ही उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है तथा ना ही मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्व धारा 177 लागू नहीं होती है ओर ना ही वह धारा 177 के उल्लघंन का दोषी है। यहा यह अंकित करना आवश्यक होगा कि वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं है बल्कि छीतरमल शेरावत, जगदीश व मंशाराम चौधरी के नाम दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा कोई भी अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य नहीं किया जा रहा है ओर ना ही धारा 177 का उल्लघंन किया जा रहा है। अप्रार्थी अपनी भूमि को कृषि भूमि कार्य में उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है तथा ना ही मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा रहा है ऐसी स्थिति में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

अप्रार्थी के विरूद्व धारा 177 लागू नहीं होती है ओर ना ही वह धारा 177 के उल्लघंन का दोषी है इसलिए प्रार्थी का प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा उक्त प्रकरण में विवादित आराजीयात पर बिना सम्परिवर्तन करवाये अकृषि कार्य प्रयोजन हेतु आराजी का उपयोग किया जाना अंकित किया गया है इसके विपरित अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह तथ्य अंकित किये है कि उक्त आराजीयात पर किसी प्रकार की कोई कॉलोनी विकसित नहीं की जा रही है ओर ना ही उक्त आराजीयात अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। तहसीलदार कि0रेनवाल के द्वारा प्रकरण में जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उसमें मात्र ग्रेवल सड़क बिछी होना अंकित किया है एवंम् मौके पर अन्य कोई निर्माण कार्य किये गये हो अथवा आराजी कॉलोनी के रूप में विकसित की गयी हो ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है ना ही उक्त मौका रिपोर्ट में मौके पर कितनी ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया है यह भी अंकित नहीं किया है जबकि अप्रार्थी के द्वारा जो प्रा0पत्र प्रस्तुत हुआ है उसमें अपनी कृषि कार्य के उपयोग में लेने के लिए रास्तें के रूप में ग्रेवल डालकर उक्त आराजी का उपयोग किया जा रहा है मौके पर किसी प्रकार की कोई कॉलोनी विकसित नहीं की गयी है ना ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थीगण द्वारा आराजी का उपयोग अकृषि कार्य के लिए किया जा रहा हो ऐसे में प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दूओं पर साबित ना होने पर अस्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दूओं पर साबित ना होने पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 18/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-रेनवाल

([illegible]) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल
उप[illegible]
कि0रेनवाल